शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

# राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / निर्माण / 2011 / 1176 भोपाल, दिनांक 31.12.11

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले म.प्र.

विषयः— पूर्ण हो चुके के.जी.बी.व्ही.छात्रावास / बालिका छात्रावास / सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावासों में पानी एवं बिजली की व्यवस्थायें कर उनके हस्तांतरण बाबत्

संदर्भः— वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा दिनांक 27.12.11

राज्य शिक्षा केन्द्र में दिनांक 21.12.11 से दिनांक 23.12.11 को आयोजित विषयांतर्गत कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्माण एजेन्सीज के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें सौपें गये जिन छात्रावासों में पानी एवं बिजली की व्यवस्था नही हैं उनका आधिपत्य आपके द्वारा नही लिया जा रहा है। इस बाबत दिनांक 27.12.11 की वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चानुसार छात्रावासों में पानी / बिजली की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे—

1- (i) जिन छात्रावासों के निर्माण हेतु ठेकेदारों द्वारा नल कूप खनन किये गये हैं वहॉ सबमर्जिबल पंप एवं पाईप लाईन का कार्य यदि स्वीकृत राशि की सीमा में हो सकता है तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के माध्यम से यह कार्य कराया जावे। जहॉ स्वीकृत सीमा में उपरोक्त कार्य होना संभव नहीं है वहॉ ठेकेदारो द्वारा खनन किये हुये नल कूपों को उपयोग में लेते हुए सबमर्जिबल पंप एवं पाईप लाईन के प्राक्कलन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से बनवाकर प्रस्तुत किये जावें।

(ii) जिन छात्रावासों में ठेकेदारों ने निर्माण हेतु अपने नलकूप नही लगाये है, उन स्थानों पर Resistivity Survey कराकर पानी की उपलब्धतता सुनिश्चित कर नलकूप खनन, पाईप लाईन एवं सबमर्जिबल पंप के प्राक्कलन बनवाकर प्रस्तुत किये जावें।

(iii) कुछ स्थानों पर नल कूप सफल न होने से ठेकेदारों द्वारा टेंकर से पानी लाकर निर्माण कार्य किये गये हैं। ऐसे स्थानों के लिए यदि कुछ अतिरिक्त दूरी पर नल कूप खनन करके वहॉ पानी उपलब्ध हो सके और छात्रावासों तक पाईप लाईन बिछाकर पानी लाना संभव हो तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री से प्राक्कलन तैयार कराकर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत किये जावें।

(iv) जिन स्थानों पर नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत की जल प्रदाय योजना है, उन स्थानों पर छात्रावासों के लिए नल कनेक्शन लेकर पानी की व्यवस्था की जावे।

2- जिन छात्रावासों के निकट तक विद्युत लाईन नहीं है, एवं वहॉ नये खंबे लगाकर विद्युत लाईन डाली जाना है, वहॉ विद्युत विभाग से प्राक्कलन तैयार कराकर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत किये जावें। यदि किसी स्थान पर ट्रांसफॉर्मर लगाने की आवश्यकता हो तो उसका समावेश भी प्राक्कलन में किया जावे।

उचित होगा कि जिला शिक्षा केन्द्र के सहायक यंत्री इस बाबत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विद्युत विभाग से टाई अप करके उपरोक्त प्राक्कलन तैयार कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करें ताकि पूर्ण भवनों का शीघ्र हस्तांतरण हो सके।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.क्रमांक / राशिके / निर्माण / 2011 / 11707 भोपाल, दिनांक 31.12.11

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समस्त जिले म.प्र.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र.
3. सहायक यंत्री जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

4. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल